आयुक्त लोकेश चंद्राकर खुद पहुंच गए कार्रवाई करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हुए लगवाया 2000 रुपए का जुर्माना, प्रतिबंधित प्लास्टिक भी हुआ जब्त

भिलाई नगर/ नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर अपने नियमित भ्रमण के दौरान वार्ड क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे इसी दौरान वह अचानक गदा चौक के पास पहुंचे , शराब दुकान के चखना सेंटर में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय एवं उपयोग किया जा रहा था जिसको लेकर उन्होंने स्वयं खड़े होकर चखना सेंटर के विरुद्ध 2000 रुपए की चलानी कार्रवाई करवाई। आयुक्त ने कहा कि दोबारा यदि गलती दोहराते पाया जाएगा तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती भी बनाई गई। इस मौके पर स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी व अंजनी सिंह मौजूद थे। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन लगातार मार्केट क्षेत्रों में दबिश दे रहा है और जहां भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय एवं उपयोग करते पाया जा रहे हैं वहां जुर्माना लगाते हुए जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की बात करें तो 500000 से अधिक रुपए का जुर्माना निगम प्रशासन इस पर लगा चुका है। शहर से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का खात्मा करने के लिए निगम प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और शहरवासियों से भी इसके बहिष्कार को लेकर लगातार अपील कर रहा है। दरअसल आयुक्त प्रतिमा विसर्जन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने सुपेला के शीतला तालाब के निरीक्षण में पहुंचे थे वहां उन्होंने सफाई व्यवस्था देखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा नगर सुपेला के मोहल्ले का निरीक्षण किया और वहां भी सफाई व्यवस्था देखी।